





03/12/2020

पञ्चावली वेस हर्क। पञ्चलाय
 उभय पक्ष उपर। प्रतिवादी सं० १ की ताम्बील
 सम्यक् रूप से लेकर लौटी है। बावजूद तम्पक
 ताम्बील उक्त प्रतिवादी की ओर से हार्क
 हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादी
 सं० १ के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अदालत
 में लाई जाती है। प्रतिवादी सं० २ की ओर से
 पूर्व में दिनांक 13-10-2020 को प्रस्तुत बकबाली
 जवाब की अभिलेख पर लिया जाता है।

पञ्चलाय उभय पक्ष ने प्रकवत
 में सुताबिड राजीनामा दावा डिट्टी फरमाया जाने
 का निवेदन किया।

पञ्चावली पर उपलब्ध राजार
 रेकार्ड, राजीनामा व बकबाली जवाब का अव-
 लोचन किया गया जिनसे अवलोकन से



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	<p>पाद, वादी मुताबिह राजीनामा डिही छिया जात है। राजीनामा डिही का भाग रहेगा। मुताबिह राजीनामा राजस्व रेकार्ड में अमल करामद है तथा तदनुसार पर्चा डिही मुतीव हो। पत्रावली फ़ैसल शुभान होकर नम्बर से कम है तथा बाद तबकील दाखिल फ़रद है। यह निर्णय आज दिनांक 03/12/2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (राजेश कुमार) परबण्ड अधिकारी उपरखण्ड अधिकारी खण्डरवा (सीकर) खण्डरवा (सीकर) </p>	